

## **Regarding merger of schools in Uttar Pradesh**

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : धन्यवाद सभापति महोदया । मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

महोदया, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पॉलिसी के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार विद्यालयों को अंधाधुंध बंद किया जा रहा है । उससे प्रदेश के छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों की शिक्षा के साथ-साथ हजारों परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई है । इससे करीब साढ़े तीन लाख बच्चे-बच्चियां प्रभावित हो रही हैं । प्रदेश सरकार प्रदेश के लाखों गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण के बच्चे-बच्चियों का भविष्य अंधेरे में डालने का काम कर रही है । उत्तर प्रदेश में करीब पांच हजार विद्यालय बंद हो गए हैं । बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का सवाल है । उससे पूरे प्रदेश में विरोध और जन आक्रोश है । यह नीति शिक्षा के अधिकार ? (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । यह नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है । ? (व्यवधान)